उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//परीक्षा सेल//

विज्ञापन कमांक :–884/परीक्षा/17 दिनांक :–01/12/2017

म0प्र0 के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, जलवाहक, माली, स्वीपर/चतुर्थ श्रेणी कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु विज्ञापन

नोटः– अभ्यर्थी पदवर्ग (1) (2) (3) एवं (4) में से केवल एक जिले व एक पदवर्ग हेतु ही ऑनलाईन आवेदन कर सकता है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि :		31/12/2017 (रविवार)
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि	–	03/01/2018 (बुधवार)
अनुवीक्षण(स्कीनिंग) का दिनांक	–	28/01/2018 (रविवार)
मुख्य परीक्षण/साक्षात्कार का दिनांक	–	25/02/2018 (रविवार)

उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से, दिनांक 31/12/2017 को रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को दिनांक 03/01/2018 को रात्रि 11.59 बजे तक सुधारा जा सकता है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कार्य के लिए एमपीऑनलाईन को ₹ 50/– (पचास) प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

परीक्षा–शुल्क और पोर्टल. शुल्क–

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए रूपये 100/– एमपीऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क एवं रूपये 100/– परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 100+100= ₹ 200/–(दो सौ) तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/दिव्यांग आवेदकों के लिए एमपीऑनलाईन को देय केवल पोर्टल शुल्क ₹ 100/– (सौ) देय होगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

आवेदन पत्र वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये www. mponline.gov.in पर Authorized Kiosk list Link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–

आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज | नागरिक सेवाऐं | ऑप्शन में क्लिक करें फिर ड्रापडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् MP High Court के Logo पर Click करें तत्पश्चात् Application and Services ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दी हुई link पर click करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने से पहले Advertisement को क्लिक कर, दी गई समस्त जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरान्त ही Online Apply करने के लिए Form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही–सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना **नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित** अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के Link (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फारमेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फारमेट को स्केन कर .jpg फारमेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो एवं हस्ताक्षर सेलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक ऑनलाइन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरान्त Submit बटन दबायें। इससे आवेदक को एक **आवेदन फार्म नम्बर** प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to Payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे ।

1– क्रेडिट/डेबिट कार्ड।

2– इंटरनेट बैंकिग।

3– **क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :– आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन सम्बन्धी जानकारी भी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को सँभालकर रखें।**

4– **इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** :– आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है । इसके लिये आवेदक के पास नेटबैंकिग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फार्म भरने के उपरान्त Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लाग–इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है । सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। **इसका प्रिन्ट अवश्य लें।**

5– **एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः–** आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर सिटिजन सर्विसेज में जाकर **एप्लीकेशन** में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियॉ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी गई समस्त जानकारियॉ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक ऑनलाइन फार्म में भरी गई समस्त जानकारियॉ सही–सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।**

6– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है, तो ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 03/01/2018 (बुधवार) रात्रि 11.59 बजे तक संबंधित त्रुटि को एम0पी0ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क (50 रूपये) जमा कर सुधार सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त मानी जावेगी

7– यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।

8– इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम0 पी0 आनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन कमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियॉ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से सम्बन्धित समस्त जानकारी अंकित होगी। **आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।**

9– ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हे ऑनलाईन नहीं भरा गया हो अथवा ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा गया हो। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा न करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :– यदि आपको ऑनलाईन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल सम्पर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर "संपर्क करें" में क्लिक करें तथा "शिकायत" विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल– 402026, **फोन (0755) 4019400**

पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :–

पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	वरीयता
(1)आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट **वाहन चालक प्रवर्ग**	**कलेक्टर रेट**	1.आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण 2. लाइट मोटर व्हीकल चलाने का वैद्य ड्राईविंग लायसेंस।	कार्य का अनुभव एवं अन्य योग्यता
(2)आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/कलेक्टर रेट **मृत्य/चौकीदार/ जलवाहक प्रवर्ग**	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण	अन्य योग्यता
(3)आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/**कलेक्टर रेट माली,प्रवर्ग**	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण	कार्य का अनुभव एवं अन्य योग्यता
(4)आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी/**कलेक्टर रेट स्वीपर,प्रवर्ग**	**कलेक्टर रेट**	आठवीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण	अन्य योग्यता

टीप :– आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम् शैक्षणिक अर्हतायें ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं।

(1) वाहन चालक (2) (अ)मृत्य (ब)चौकीदार (स)जलवाहक (3) माली (4) स्वीपर चतुर्थ श्रेणी कलेक्ट्रेट रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी, की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु पदों का आरक्षण रोस्टर :–

(1) पद प्रवर्ग–वाहन चालक

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से अस्थिबाधित निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियॉं
		अनारक्षित	अपि0वर्ग	अजा0 जाति	अजा0 जनजाति	अनारक्षित	अपि0वर्ग	अजा0 जाति	अजा0 जनजाति		
1	बालाघाट	1									1
2	बड़वानी	1									1
3	भोपाल	2									2
4	देवास	1									1
5	डिण्डौरी	1									1
6	गुना	2			1						3
7	ग्वालियर	3	1	1		1					5
8	जबलपुर	1									1
9	झाबुआ				2						2
10	खण्डवा	1			1						2
11	कटनी	1									1
12	मुरैना	1		1							2

13	मण्डलेश्वर	2									2
14	रीवा	1	1								2
15	सागर	2	1								3
16	शहडोल	1									1
17	श्योपुर	2			1						3
18	सिंगरौली – बैढन	1			1						2
19	उज्जैन	1		1							2
20	विदिशा	1	1	1							3
	योग	26	4	4	6	1				00	40

(2) पद प्रवर्ग–भृत्य / चौकीदार / जलवाहक

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से अस्थिबाधित निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियाँ
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	अनूपपुर	5		3	4					1	12
2	अशोकनगर	4	2	2	1	1				1	9
3	बालाघाट	5	2							1	7
4	बड़वानी				2						2
5	बैतूल	2	1		3						6
6	भिण्ड	9	2			3				1	11
7	भोपाल	5	1	1		1					7
8	बुरहानपुर		1	1	1						3
9	छिन्दवाड़ा	4	1		3	1					8
10	दमोह	11	3	5	3	3	1	1		2	22
11	दतिया	7	2	4	1	1		1		1	14
12	देवास	11	3	4	4	2				1	22
13	डिण्डौरी		1		5						6
14	गुना	6	2		2	1				1	10
15	ग्वालियर	36	8	11	2	11	2	3		4	57
16	होशंगाबाद	4									4
17	इंदौर	17	3	2	2	5	1			1	24
18	जबलपुर	4	3	2	1					1	10
19	झाबुआ	2	1		8				1		11
20	खण्डवा	5	1	1	4	1			1	2	11
21	कटनी	6			1						7
22	मंदसौर	8	2	3		2				1	13
23	मुरैना	12	1	1		3				1	14

24	मण्डलेश्वर	8	2		6	2			2	1	16
25	नरसिंहपुर	14		3	1	4		1		2	18
26	नीमच	3	1	1		1				1	5
27	राजगढ़	7	1			2				1	8
28	रायसेन	7	2	2	2	2				2	13
29	रतलाम	15	4	1	9	5	1		3	2	29
30	रीवा	9	1		4	3			1	2	14
31	सागर	9	2	1	2	2				1	14
32	सतना	14	2		3	3				1	19
33	शहडोल	1	1		2						4
34	शाजापुर	2									2
35	श्योपुर	7	1	1	4	2			1	1	13
36	शिवपुरी	9	4			1				1	13
37	सीधी	6	2	1	4	2			1	1	13
38	सिंगरौली – बैढन	12	4	2	9	3	1		2	2	27
39	टीकमगढ़	11	2	3		3		1		1	16
40	उमरिया	3	1	1	4	1			1	1	9
41	उज्जैन	9	2	4	1	3		1		1	16
42	विदिशा	15	3	1		4				1	19
	योग	324	75	61	98	78	6	8	13	41	558

(3) पद प्रवर्ग–माली

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से अस्थिबाधित निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियॉं
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	अनूपपुर		1								1
2	बड़वानी				1						1
3	भिण्ड	1									1
4	भोपाल	2									2
5	छिन्दवाड़ा				1						1
6	दमोह		1								1
7	दतिया	1									1
8	देवास	2	1		1						4
9	डिण्डौरी				1						1
10	जबलपुर	1	1		1						3
11	खण्डवा		1								1
12	मुरैना		1	1						1	2

13	मण्डलेश्वर		1								1
14	नरसिंहपुर	1									1
15	रायसेन	1									1
16	सागर	1									1
17	सतना		1		1						2
18	शहडोल	1									1
19	शाजापुर		1								1
20	श्योपुर	1	1								2
21	शिवपुरी	1									1
22	टीकमगढ़	1									1
	योग	14	10	1	6					1	31

(4) पद प्रवर्ग–स्वीपर

क्र0	न्यायिक जिले का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से अस्थिबाधित निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	कुल रिक्तियॉं
		अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति		
1	बालाघाट	1			2						3
2	बड़वानी			1							1
3	बैतूल			1							1
4	भिण्ड			4				1			4
5	भोपाल			1							1
6	छिन्दवाड़ा			2							2
7	दमोह	2									2
8	दतिया	1		1							2
9	देवास	4	1	2		1					7
10	डिण्डौरी			1	2						3
11	गुना			3				1			3
12	ग्वालियर	3	1			1					4
13	होशंगाबाद			1							1
14	इंदौर			6				2			6
15	जबलपुर			2	3				1		5
16	झाबुआ				3				1		3
17	खण्डवा	2		1							3
18	कटनी	2									2
19	मंदसौर	3	1	1							5
20	मुरैना			3	1			1			4
21	मण्डलेश्वर			1	1						2
22	नरसिंहपुर			3				1			3

23	नीमच	1									1
24	रायसेन	3		1		1					4
25	राजगढ़			2							2
26	रतलाम			4				1			4
27	रीवा			3				1			3
28	सागर			4				1			4
29	सतना			4				1			4
30	शहडोल				1						1
31	शाजापुर			1							1
32	श्योपुर			1							1
33	शिवपुरी	1		4	2			1			7
34	सिंगरौली – बैढन			2							2
35	टीकमगढ़			2	1						3
36	उमरिया			1							1
37	विदिशा		1	3	1			1			5
	योग	23	4	66	17	3		12	2	00	110

(2) **आयु की गणना**

दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, आयु सीमा की गणना The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016 के अनुसार होगी :–

1	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरूष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरूष आवेदक (आरक्षित वर्ग–शासकीय/ निगम/ मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग–अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति मे किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(3) **अनुवीक्षण (स्कीनिंग) (उपरोक्त सभी प्रवर्गो के पदों हेतु) :– (30 अंक)**

अनुवीक्षण (स्कीनिंग) हेतु समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र एम.पी.ऑनलाईन द्वारा जारी किया जावेगा। अनुवीक्षण (स्कीनिंग) हेतु अभ्यर्थियों को समिति के समक्ष में समस्त अर्हकारी

मूल प्रमाण पत्रों के साथ मूल पहचान पत्र सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी, जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः होना आवश्यक होगा। अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) में प्राप्त अंको को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय नहीं जोडा जावेगा। अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) में धारा–4(4) म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(4) **साक्षात्कार (30 अंक)**– अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) के पश्चात् मेरिट अनुसार सफल पाए गये अभ्यर्थियों की सूची 1:3 के अनुपात में श्रेणीवार तैयार कर उच्च न्यायालय म0प्र0 की वेबसाईट www.mphc.gov.in तथा जिला न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जावेगी। साक्षात्कार हेतु सफल पाए गये अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ, अपनी केटेगरी सहित लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन–पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। यह आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में बुलाये जायेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप एम0पी0ऑनलाईन एवं म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं निरस्त माना जायेगा। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा। मुख्य साक्षात्कार 30 अंकों का होगा। मुख्य साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेरिट के अनुसार केटेगरी वाईस अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।

(5) **चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :–**

(1) अभ्यर्थी केवल एक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदवर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त हो जावेगी और उसके आवेदन/आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो–

(क) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ख) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(ग) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(घ) जिसकी दो से अधिक सन्तान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, (परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।)

(3) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती हैं अर्थात् पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी, परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

(4) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(5) मुख्य साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र व दस्तावेजों का परीक्षण संबंधित जिलों में ही किया जावेगा इस हेतु जिला न्यायाधीश एक समिति का गठन करेगें जो कि आवेदन पत्र व दस्तावेजों का परीक्षण करेगें तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन, विज्ञापन में

उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं उन्हें अपात्र किया जायेगा तथा पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूचियां कारण उल्लेखित करते हुए संबंधित जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी। तथा पात्र अभ्यर्थी ही मुख्य साक्षात्कार हेतु योग्य होगें।

(6) अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही मुख्य साक्षात्कार दिनांक को होगी और उन्हें फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के साथ संबंधित जिले के जिला न्यायालय में उपस्थित होना होगा ।

(7) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है अथवा उसमें असत्य जानकारी दी है अथवा कोई जानकारी नहीं दी है अथवा किसी जानकारी को छिपाया है तो ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर/प्रक्रम पर उसका प्रवेश, चयन और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा इस सम्बंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) ऑनलाईन आवेदन पत्रों में की गई त्रुटियों के सुधार हेतु एक निश्चित समय प्रदान किया जावेगा तथा इसी निश्चित समय में समस्त अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार करवाना आवश्यक होगा निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी तरह का कोई त्रुटि सुधार कार्य नहीं किया जावेगा बल्कि अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी।

(9) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–7–13/2004/आ.–प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.07.2005 में दिये गये निर्देशों के अध्याधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(10) प्रवेश पत्र एम0पी0ऑनलाईन की वेबसाईट में प्रकाशित किये जावेंगें जिसका अभ्यर्थी को स्वयं प्रिन्ट निकालना होगा जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व जन्मतिथि दर्ज कराना होगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो अथवा उसे दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

(12) पुनःमूल्यांकन/पुनः साक्षात्कार हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस संबंध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।

प्राप्तांक/स्कोर कार्डः

स्क्रीनिंग साक्षात्कार एवं मुख्य साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक/ स्कोर कार्ड **MPOnline** की वेबसाईट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिये जावेंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक/स्कोर कार्ड, अपनी आई0डी0 (आवेदन क्रमांक), पासवर्ड (जन्मतिथि) एवं ओ0टी0पी0 (रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर में भेजा जावेगा) से लॉग–इन कर देख सकते हैं तथा प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारीः

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी।

विनिष्टीकरणः–

आवेदन–पत्रो (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।

1.12.17

(मोहम्मद फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

****